राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,
तृतीय तल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

फोन नंबर 2227104
2227315

क्रमांकः एफ.1(15) बीप्रस/भण्डार/2015/1266 दिनांकः 22.06.2015

निविदा सूचना

संस्था द्वारा प्रमाणीकरण कार्य में उपयोग में लाये जाने वाले प्रमाणित टैंग की छपाई हेतु मोहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है :–

कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत राशि रूपये	निविदा प्रपत्र मूल्य रूपये	बयाना राशि रूपये
संस्था द्वारा प्रदत्त हस्तनिर्मित (Azure Blue Colour) कार्ड शीट पर ऑफ सेट प्रिन्टिंग मशीन से टैंग की छपाई	2,60,000/–	200/–	5,200/–

निविदा की शर्ते निविदा प्रपत्र में अंकित है जिसे इस कार्यालय से प्रतिदिन कार्यालय समय में दिनांक 03.07.2015 तक दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। जो उसी दिन सांय 3:00 बजे तक प्राप्त कर 3:30 बजें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेगे।

उक्त निविदा की विस्तृत शर्तों को संस्था की वेब साइट पर **http://www.rssopca.in** एवं **Rajasthan State Public Procurement Portal** की वेब साइट **http://sppp.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता हैं।

(मुधसूदन शर्मा)
निदेशक

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,
तृतीय तल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

(अ) <u>हस्तनिर्मित कार्डसीट पर टैग की छपाई</u>

अंतिम तिथि 03.07.2015

निविदा प्रपत्र

1. वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है, टैग्स की छपाई
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता–मय टेलीफोन नं. यदि हो तो ....
3. किसको संबोधित किया गया – निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, पंत कृषि भवन, जयपुर।
4. मैं/हम निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 1266 दिनांक 22.06.2015 में वर्णित सभी शर्तो से तथा निविदा प्रपत्र में अंकित व संलग्न समस्त अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
5. टैग छपाई की दरें निम्न प्रकार है :–

मद का विवरण	मात्रा	दर प्रति हजार टैग समस्त करो सहित
1. संस्था द्वारा दी गई कार्ड शीट 15 इंच X 12 इंच पर 15 सेमी X 7.5 सेमी (6 X 3 इंच) की माप के टैग की दो रंग में ऑफसेट प्रिन्टिंग मशीन से छपाई, कटिंग, नम्बरिंग एवं रबर बेन्ड से पैकिंग तथा 1000 टैग मजबूत कागज के रेपर में पैक कर कट्टो में पैकिंग कर इकाई कार्यालयों पर भिजवाना। (छापे जाने वाले टैगों की मात्रा कम या ज्यादा भी हो सकती है)	80 लाख टैग की छपाई	

6. दर समस्त करों सहित एफ.ओ.आर. संस्था के मुख्यालय जयपुर/इकाई कार्यालय पर है।
7. टैग छपाई हेतु कार्ड शीट अपने खर्चे पर मुख्यालय से प्राप्त कर तथा छपाई कर संस्था मुख्यालय के आदेशानुसार संस्था की राजस्थान में स्थित इकाई कार्यालयों में आपूर्ती दी जायेगी। वर्तमान में संस्था के कार्यालय श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, कोटा, जयपुर, भरतपुर, पीलीबंगा, घडसाना, अलवर, अजमेर, जोधपुर, चित्तौडगढ़, बांसवाड़ा व खेरली में स्थित है।
8. पैपर उठाने से पूर्व संस्था के साथ करार पत्र सम्पादित कर कुल छपाई लागत की 5 प्रतिशत राशि सिक्यूरिटी राशि जमा करायेगें।

9. (अ) टैग्स की 100–100 की गड्डी पर रबड बैंड लगाकर तथा 1000 टैग मजबूत कागज के रेपर में पैक कर उस पर एक हजार टैग की सीरीज नंबर मार्कर पैन से अंकित कर सूतली से पैक कर के देंगे।

(ब) एक ही सिरीज के एक लाख टैग्स–पन्द्रह हजार प्रति बैग के हिसाब से 6 बैग में व 10,000 टैग एक बैग (कुल सात बैग में) पैक कर सिलाई कर व प्रत्येक बैग पर टैग की सिरीज व संख्या स्पष्ट अंकित कर आपूर्ति करेगें। टैग की पैकिंग हेतु एचडीपीई के नये बैग जिनका वजन 70 ग्राम / प्रति बैग (+/– 5 प्रतिशत) काम में लिये जायेगें ।

10. टैग पर नंबर लाल स्याही से सु–स्पष्ट मुद्रित किये जायेगे, टैग की कटिंग सही वांछित साइज के अनुरूप होगी। सही कटिंग अर्थात टेढ़ी, छोटी,बडी साईज व अन्य तरह से कटिंग सही नहीं पाये जाने पर ऐसे टैग्स की लागत 10 पैसे प्रति टैग वसूल करने हेतु संस्था अधिकृत होगी।

11. संस्था द्वारा प्रदत कागज पर छपाई करने हेतु संस्था द्वारा एक बार में 10 ब्लॉक उपलबध कराये जावेगें जो घिस जाने पर अथवा काम समाप्त होने पर वापस जमा करावेगे।

12. संस्था द्वारा दिये गये ब्लॉक का दुरूपयोग पाये जाने पर संस्था नियमानुसार कार्यवाही कर सकती है।

13. एक माह में कम से कम 10 लाख टैग के मुद्रण कर आपूर्ति करने हेतु सहमत है ।

14. टैग के नंबरिंग एवं प्रिंटिंग यथा स्थान पर व सु–स्पष्ट न होने पर तथा छपाई खराब होने पर या समान नंबर पाये जाने पर टैग स्वीकार नहीं किये जावेगें उक्त स्थिति में आधा प्रतिशत तक छूट स्वीकार्य है तथा उनकी लागत 10 पैसा प्रति टैग की दर से वसूल की जायेगी तथा वेस्टेज संस्था के पास ही रहेगा।

15. टैग छपाई हेतु हमारे पास अपनी स्वंय की पर्याप्त ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन है।

16. यदि संस्था द्वारा उपरोक्त मात्रा से अतिरिक्त मात्रा में छपाई आदेश दिया जाता है तो इन्ही दरो व शर्ता पर छपाई कार्य करने की सहमति देते है।

ह. निविदादाता (फर्म की मोहर)

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,
तृतीय तल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

अन्तिम तिथि 03.07.2015

खुली निविदा के लिये निविदा की शर्ते एवं नियम

1. दर समस्त करों सहित एफ.ओ.आर. संस्था के जयपुर/इकाई कार्यालयों पर होगी।
2. टैग छपाई हेतु कार्ड शीट अपने खर्चे पर मुख्यालय से प्राप्त कर तथा छपाई कर दिये गये आदेशानुसार आपूर्ति की जावेगी। वर्तमान में संस्था के कार्यालय श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, कोटा, जयपुर, भरतपुर, पीलीबंगा, घडसाना, अलवर, अजमेर, जोधपुर, चित्तौडगढ़, बांसवाड़ा व खेरली में स्थित है।

3 (अ) टैग्स की 100–100 की गड्डी पर रबड बैंड लगाकर तथा 1000 टैग मजबूत कागज के रेपर में पैक कर उस पर एक हजार टैग की सीरीज नंबर मार्कर पैन से अंकित कर सूतली से पैक कर के देंने होगे।

(ब) एक ही सिरीज के एक लाख टैग्स–पन्द्रह हजार प्रति बैग के हिसाब से 6 बैग में व 10,000 टैग एक बैग (कुल सात बैग में) पैक कर सिलाई कर व प्रत्येक बैग पर टैग की सिरीज व संख्या स्पष्ट अंकित कर आपूर्ति करनी होगीं। टैग की पैकिंग हेतु एचडीपीई के नये बैग जिनका वजन 70 ग्राम / प्रति बैग (+/– 5 प्रतिशत) काम में लिये जायेगें ।

4. टैग पर सीरीज व क्रम संख्या लाल स्याही से सु–स्पष्ट मुद्रित किये जायेगे, टैग की कटिंग सही वांछित साइज के अनुरूप होगी। सही कटिंग अर्थात टेढी, छोटी,बडी साईज व अन्य तरह से कटिंग सही नहीं व समान नम्बर पाये जाने पर ऐसे टैग्स की लागत 10 पैसे प्रति टैग वसूल करने हेतु संस्था अधिकृत होगी।
5. संस्था द्वारा प्रदत कागज पर छपाई करने हेतु संस्था द्वारा एक बार में 10 ब्लॉक उपलबध कराये जावेगें जो घिस जाने पर अथवा काम समाप्त होने पर वापस जमा करावेगे।
6. संस्था द्वारा दिये गये ब्लॉक का दुरूपयोग पाये जाने पर संस्था नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
7. संस्था को एक माह में कम से कम 10 लाख टैग के मुद्रण कर आपूर्ति करनी होगी।
8. संस्था एक से अधिक निविदा कर्ता को कार्य आदेश देने हेतु स्वतंत्र होगी ।
9. टैग के नंबरिंग एवं प्रिंटिंग यथा स्थान पर व सु–स्पष्ट न होने पर तथा छपाई खराब होने पर या समान नंबर पाये जाने पर टैग स्वीकार नहीं किये जावेगें उक्त स्थिति में आधा प्रतिशत तक छूट स्वीकार्य है तथा उनकी लागत 10 पैसा प्रति टैग की दर से वसूल की जायेगी तथा वेस्टेज संस्था के पास ही रहेगा।

10 टैग छपाई हेतु अपनी स्वय की पर्याप्त ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन होने की स्थिति में ही निविदा में भाग लेने के हकदार होगें।

11. यदि संस्था द्वारा उपरोक्त मात्रा से अतिरिक्त मात्रा में छपाई आदेश दिया जाता है तो इन्ही दरो व शर्तो पर छपाई, पैकिंग व ट्रांसपोर्टेशन आदि कार्य करना होगा ।

12 (1) टैग छपाई की निविदा लिफाफे में सील बन्द कर स्पष्टरूप से लिफाफे पर लिखकर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(2) बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति

(3) सबंधित सर्किल के वाणिज्य कर अधिकारी से प्रमाणित बिक्रीकर शोधन प्रमाण पत्र नवीनतम 31.03.2015 की प्रति

(4) निविदा प्रपत्र नेट से डाउनलोड किये जाने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 200/– ड्राफ्ट।

13 बयाना राशि का डी.डी. या नकद जमा की मूल रसीद आवश्यक रूप से संलग्न की जावें जिसके अभाव में निविदा पर विचार करना सम्भव नही होगा।

14. आयकर खाता संख्या की फोटोप्रति भी सलंग्न की जानी होगी।

15 वास्तविक निर्माता/कर्ता द्वारा निविदाऐंः– निविदाऐं मालों के वास्तविक निर्माता/डीलर द्वारा दी जाएगी अतः वे एस.आर.प्रारूप 11 में घोषणा प्रस्तुत करेगें।

16. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

17. संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नये भागीदारो को ठेकेदार द्वारा फर्म में तबतक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

18. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जाएगा। पैंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा। यदि कोई कटिंग हो तो हस्ताक्षर से प्रमाणित होगी ।

19. दरें मुख्यालय जयपुर consignee store जिस में समस्त प्रकार के राजकीय कर यदि कोई हो या भविष्य में देय /लागू हो का दायित्व निविदा दाता कर्ता का होगा।

20. निविदादाता द्वारा दी गई दरों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु राज्य के बाहर की फर्म की दरों में राजस्थान एवं केन्द्रीय बिक्री कर शामिल नही किया जावेगा परन्तु राज्य की फर्मो की संबन्ध में बिक्रीकर की राशि को दरो में शामिल किया जावेगा।

21. मूल्य अधिमानः मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगो द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विर्निमित मालो की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगो को अधिमानता) नियम 1995 के अनुसार दी जायेगी।

22. बिक्रीकरपंजीयन व शोधन प्रमाण पत्रः– कोई भी निर्माता जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है यदि राज्य में प्रचलित बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नही देगा। बिक्रीकर पंजीयन संख्या का उल्लेख अत्यावश्यक हैं तथा सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिकर कर अधिकारी से बिक्रीकर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे तथा इसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।

23. विधिमान्यताः– निविदादाता द्वारा दी गई दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिन तक की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

24. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नही सोपेगा या सबलेट पर नहीं देगा।

25. प्रदाय की गई छापी गई सामग्री निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी।

26. प्रदाय की जाने वाली सामग्री का विधिवत समय समय निरीक्षण पर क्रेता अधिकारी द्वारा नियुक्त कमेटी से किया जा सकेगा।

27. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाएगा कि वे स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

28. परीक्षण प्रभारः– परीक्षण प्रभार संस्था द्वारा वहन किये जाएगे, यदि क्रेता संस्था अपने स्तर पर परीक्षण करवाती हैं। परीक्षण परीणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसिफिकिशन के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएगे।

29. रदद करना – निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रदद/नष्ट किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हे क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित की गई समयावधि के भीतर अपनी स्ंवय की लागत पर बदला जाएगा।

30. तथापि यदि संस्था कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएगें, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा । इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

31. रदद् की गई वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रदद करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के अंदर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की

हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझें, बेचने/बदलने/नष्ट करने का अधिकार होगा।

32. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिये उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, क्षति या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रीयों की जाँच निरीक्षण किये जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

33. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई केता अधिकारी को संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं तो निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद केता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता हैं। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

34. निविदादाता को उसके प्रतिनिधि की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

35. (1) सुपुर्दगी अवधिः निविदा दाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी वह सप्लाई आदेशों के अनुसार निश्चित अवधि के भीतर सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा।

(2) मात्रा की सीमाः– आदेश को फिर से देना। यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिये आदेश दिया जाता है तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिये बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गई शर्तों पर दिये जा सकेगे, परंतु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में छपाई गई मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिये ही होंगे। तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अंतिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो केता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिये स्वतंत्र हेगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

(3) यदि केता अधिकारी किन्ही निविदित वस्तुओं की खरीद(छपाई) नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ठ मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

36. **बयाना राशि :–**

(क) निविदा के साथ बयाना राशि नियमानुसार प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदा पर विचार नही किया जाएगा। यह राशि राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रामाणीकरण संस्था, जयपुर के पक्ष में देय निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा कराई जानी चाहिये।

1. नकद –

2. शिडयूअल बैंक का बैक डिमांड ड्राफट /बैकर्स चेक

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय :– असफल निविदा दाता को बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद शीघ्र लौटाई जाएगी।

(ग) बयाना राशि से छूट – बयाना राशि लघु उद्योगों केलिए उनके द्वारा प्रस्तावित मात्रा के मूल्य का 1/2 प्रतिशत राशि होगी, रूग्ण इकाईयों के लिए यह राशि 1 प्रतिशत एवं अन्य केलिए बयाना राशि अनुमानित मूल्य के 2 प्रतिशत मुल्य के बराबर होगी। उन फर्मो को, जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है उन मदो के सम्बन्ध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, उनके द्वारा प्रस्तावित मात्रा के मुल्य के 1/2 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं।

(ड) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रदद की गई या संविदाओ के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिये बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नही किया जाएगा यथापि यदि निविदाओ को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं।

3. बयाना राशि का समपहरणः बयाना राशि को निम्न मामलों में समपृहत कर लिया जाएगा :–

(1) जब निविदा दाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताब को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता हैं।

(2) जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

(3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

(4) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारंभ करने में असफल रहता हो।

4.(1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः–

1. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिये निविदाए स्वीकार की गई है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक

से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी।

लघु उद्योगों के लिए उनके द्वारा आदिष्ठ मात्रा का 1 प्रतिशत एवं रूग्ण इकाई केलिए 2 प्रतिशत होगी, अन्य केलिए अनुमानित मुल्य का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि देय होगी।
राज्य के बाहर की कोई फर्म न्यूनतम आती है तो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 26.01.2013 के राजस्थान पारदर्शिता अधिनियम 2012 के नियम 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके अनुसार राज्य की फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।
निर्धारित समयाअवधि में करार नहीं करने या प्रतिभूति नहीं जमा कराने पर बयाना /प्रतिभूति राशि समप्रहरत करली जायेगी ।

2– निविदा के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।

3– प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

4– प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें।

(क) नकद/बैक ड्राफट/बैकर्स चैक

(ख) डाकघर बचत बैक पास बुक्स जिसे विधिवत गिरवी रखा जाएगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत पत्र व डिफेन्स सेविंग प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्किप्ट /विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता है। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।

5. एक समय खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों की अंतिम सप्लाई से एक माहके भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिये सविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण किये जाने के बाद या गारंटी की अवधि, यदि हो, के समाप्त हो जाने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकाया नही है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

6. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपृहृत किया जाएगाः–
(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामलें में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

(4) करार पत्र को पूर्ण करनें एवं उस पर स्टांप लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टांपशुदा प्रतिपडत निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी ।

37. **बीमा :–**

1. सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएगें। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ , मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा । यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नही की जाएगी ।

2. यदि क्रेंता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जाएगा । ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए ।

38. **भुगतान :–**

1. संस्था द्वारा किसी भी स्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा ।

2. जब तक पक्षकारो के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएगे ।
3. विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा ।
4. उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने के जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिये जाएगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुसार होगें ।

5. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से फर्म आर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा ।

1. परिनिर्धारित क्षति– परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामलें में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिये की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलंब के लिए 2 ½ %

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 %

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7½%

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलंब के लिए 10 %

2. विलंब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा ।

परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी ।

यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायगी हेतु आवेदन दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरंत उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा। यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।

39. **वसूलियॉ** :

परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट व रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोकी जा सकेगी तथा सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय के साथ वसूली उसको देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी । यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

40. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

41. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो ।

42. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म /सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदो को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा ।

43. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक प्रमाणित प्रति ।
2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष ।
3. एक मात्र स्वामित्व के मामलें में आवास, एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर ।
4. कंपनी के मामलें में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र ।

44. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामलें को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में आने वाले अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ती करेगा यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा ।

45. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार द्वारा (संस्था या ठेकेदार) जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी। अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी ।

46. निविदादाता निविदा फार्म के साथ संलग्न समस्त सलंग्नक ***(Annexures)*** को भरकर तथा हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करेगें।

47. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान लागू होगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

<u>S.R.11</u>

<u>Annexure -B</u>

I/We declare that I am / We are bonafide/ Manufacturers / dealer/owner in the equipments for which I/We have tendered.

In this declaration if found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken my/our security may be forfeited in full and the tender if any to the extent accepted may be cancelled.

Signature of the tenderer

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.